स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना

वैश्वीकरण के नये दौर में बदलते हुए रोजगाग परिदृश्य में मध्यप्रदेश के अधिकांश विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन छात्रों को कॅरियर की समुचित जानकारी न होने से वे अपनी रूचि योग्यता और दक्षता के अनुरूप उपयुक्त पाठ्यकम और उपयुक्त कॅरियर का चुनाव करने में कठिनाई अनुभव करते है। अतएव 10वीं के बाद उपयुक्त विषय चयन तथा 12वीं के बाद तथा महाविद्यालयीन शिक्षा के दौरान उपयुक्त कॅरियर की डगर पर विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों को कॅरियर मार्गदर्शन उपलग्ध कराने के लिए योजना बनाना वांछनीय माना गया। इसी परिप्रेक्ष्य में रोजगार एवं शिक्षा में समन्वय स्थापित करने हेतु तत्कालीन उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री ने 1 दिसंबर 2004 को विधानसभा स्थित समिति कक्ष में एक बैठक आयोजित की जिसमें उच्च शिक्षा विभाग,स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा आदि विभागों के उच्च अधिकारियों को बुलाया गया और रोजगार शिक्षा में समन्वय स्थापित करने के कार्य को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में कई वर्षो से छात्रों के रोजगार और कॅरियर मार्गदर्शन का कार्य कर रहे शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय इंदौर के प्राध्यापक डॉ. जयंतीलाल भण्डारी को जिम्मेदारी दी गई कि वे विभिन्न कॅरियर विशेषज्ञों की एक कोर टीम तैयार करें जो छात्र-छात्राओं को कॅरियर की विभिन्न विधाओं से संबंधित उपयुक्त परामर्श दे सकें तथा रोजगार एवं शिक्षा में समन्वय स्थापित करने के कार्यकम में कॅरियर काउंसलरों को प्रशिक्षित करने हेतु डॉ. जयंतीलाल भण्डारी को समन्वयक बनाया गया। समन्वयक कार्यालय महिला पोलिटेक्निक कॉलेज,इंदौर में बनाया गया।

कॅरियर मार्गदर्शन का प्रारंभिक प्रयोग

प्रारंभ में उच्च शिक्षा विभाग की पहल पर शासन स्तर पर यह निर्धारित किया गया कि कॅरियर काउंसलिंग के लिए तहसील स्तर पर स्थित कॉलेज या स्कूल में छात्रों की 3 दिवसीय कॅरियर काउंसलिंग दी जाएगी। कॅरियर काउंसलिंग के लिए प्रत्येक तहसील से स्कूल शिक्षा, आदिम जाति कल्याण,उच्च शिक्षा,तकनीकी शिक्षा और अन्य विभागों से चार-चार चयनित व्यक्तियों को कॅरियर काउंसलर प्रशिक्षण 1,2 एवं 3 फरवरी 2005 को सरोजनी नायडू नूतन कन्या महाविद्यालय,भोपाल में दिया गया। इस कार्यकम का शुभारंभ तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर के द्वारा किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यकम में प्रदेश के सभी तहसीलों के 1000 से अधिक कॅरियर काउंसलर प्रशिक्षित किये गए और उन्हे कॅरियर काउंसलिंग के कार्य में मदद देने के लिए उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा प्रकाशित की गई कॅरियर मार्गदर्शिका 2005 दी गई । इन प्रशिक्षित कॅरियर काउंसलरों के द्वारा 7,8 एवं 9 फरवरी को अपनी - अपनी तहसीलों के स्कूल,कॉलेजों में छात्रों की काउंसलिंग की गई । इस काउंसलिंग में बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया और वे लाभान्वित हुए।

मंत्रीपरिषद द्वारा स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना की स्वीकृति

शैक्षणिक सत्र 2005-06 की शुरूआत में अपर मुख्यसचिव,उच्च शिक्षा के द्वारा प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यो को पत्र भेजकर यह निर्देश दिये कि जिन कॅरियर काउंसलर्स के द्वारा भोपाल में प्रशिक्षण लिया गया है वे अपने-अपने कॉलेज के छात्रों को कॅरियर मार्गदर्शन दें। रोजगार एवं शिक्षा में समन्वय कार्यकम की उपयोगिता को देखकर उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा उच्च शिक्षा,स्कूल शिक्षा,आदिम जाति कल्याण विभाग तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों के लिए कॅरियर एवं रोजगार मार्गदर्शन देने की विस्तृत रूपरेखा बनाई गई। इसे स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना नाम दिया

गया। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा तैयार की गई योजना के प्रस्ताव के संबंध में वित्त विभाग ने भी सहमति व्यक्त की। स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना को मंत्री परिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई ।

मंत्रीपरिषद द्वारा पारित योजना की संक्षेपिका के कियान्वयन हेतु बैठक

मंत्री परिषद द्वारा पारित योजना की संक्षेपिका के कियान्वयन हेतु बैठक 10 जनवरी 2006 को आयुक्त,उच्च शिक्षा,कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। इसमें निर्धारित किया गया कि राज्य शासन द्वारा कैबिनेट मे लिये गए निर्णय के अनुसार स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना की नोडल ऐजेन्सी के रूप में उच्च शिक्षा विभाग कार्य करेगा अतएव योजना के उद्वेश्य,क्षेत्र,मार्गदर्शन प्रकोष्ठ की स्थापना,वित्त व्यवस्था,कार्यालय की स्थापना,डीडीओ के अधिकार योजना की प्रभावपूर्ण कार्यशीलता आदि विषयवस्तु समाहित करने वाली अधिसूचना राज्य शासन से जारी कराने हेतु कार्यवाही की जाए। बैठक में निर्धारित किया गया कि वर्ष 2005-06 के लिए अनुपूरक बजट में स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना के लिए जो 1,47,67,300 रू. की धन राशि स्वीकृत की गई उनका स्वीकृत मदों पर उपयोग किया जाए। योजना के इंदौर स्थित राज्य समन्वयक कार्यालय के 2,10,000 रू. अतिरिक्त सचांलक इंदौर -उज्जैन के खाते में जमा कराए जाएं और योजना के राज्य समन्वयक कार्यालय,इंदौर के आकस्मिक व्यय हेतु आयुक्त उच्च शिक्षा कार्यालय के द्वारा 40,000 रू. दिए जाएं। निर्धारित किया गया कि योजना के तहत विभिन्न स्कूल,कॉलेज में कॅरियर लायब्रेरी में रोजगार समाचार,रोजगार और निर्माण (साप्ताहिक रोजगार पत्र) काम्पीटिशन सक्सेस रिव्यू,प्रतियोगिता निर्देशिका,प्रतियोगिता दर्पण (मासिक प्रतियोगिता पत्रिकाएँ) तथा कॅरियर से संबंधित पुस्तकें मँगाई जायें। वर्ष 2006-07 में योजना से संबंधित शैक्षणिक संस्थाओं में प्रति छात्र, प्रति माह 1रू. की दर से कॅरियर मार्गदर्शन हेतु रोजगार एवं शिक्षा समन्वय शुल्क लिया जाए। कॅरियर मार्गदर्शिका 2006 प्रकाशित की जाए। स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना के तहत फरवरी 2005 में कॅरियर मार्गदर्शिका के विकय से प्राप्त रू. 1,92,000 शासकीय सरोजनी कन्या महाविद्यालय के पास जमा है, इनका उपयोग स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना के विभिन्न कार्यो में किया जाए ।

स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना के लिए अधिसूचना

मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृत योजना के परिपालन में राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा 7 फरवरी 2006 को अधिसूचना जारी की गई इसमें कहा गया कि स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना मध्यप्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालयों में स्कूल शिक्षा विभाग के तहत सभी शासकीय उ.मा.विद्यालयों तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत पोलिटेक्निक कॉलेजो तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में प्रभावशील होगी कहा गया कि योजना के तहत छात्र-छात्राओं को कॅरियर काउंसलिंग से यह बताया जाएगा कि अच्छा कॅरियर कैसे बनाया जाए। वे रूचि,योग्यता और क्षमता के अनुरूप कौन से व्यावसायिक और रोजगार मूलक पाठ्यक्रमों मे जा सकते हैं? उनमें प्रवेश का तरीका क्या है? प्रवेश परीक्षा की तैयारी कैसे करें? कौन से अध्ययन संदर्भ जरुरी हैं? स्वरोजगार के क्षेत्र में भी कदम कैसे बढ़ाए जा सकते हैं?

अधिसूचना में कहा गया कि इस योजना के तहत प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। इस प्रकोष्ठ में एक सहायक प्राध्यापक/व्याख्याता को प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। प्रकोष्ठ में कॅरियर मार्गदर्शन लायब्रेरी तथा इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी । राज्य निदेशक कार्यालय से इन प्रकोष्टों की मॉनीटरिंग की जाएगी तथा इन प्रकोष्टो को कॅरियर मार्गदर्शन सामग्री भी भेजी जाएगी।

अधिसूचना में वित्त विभाग की सहमति से योजना से संबंधित प्रत्येक शैक्षणिक संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों से 1रू. प्रतिमाह रोजगार एंव शिक्षा समन्वय शुल्क लिया जाना निर्धारित किया गया । उक्त राशि को विद्यालय/महाविद्यालय शैक्षणिक संस्थान स्तर पर ही जमा रखा जाएगा और उसका उपयोग रोजगार एवं शिक्षा समन्वय कार्यों मे किया जाएगा। इससे राज्य शासन पर अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा।

अधिसूचना में योजना के कियान्वयन हेतु पदों की व्यवस्था विभिन्न विभागों से संलग्नीकरण के माध्यम से की जाना सुनिश्चित की गई. इसमें निदेशक का पद (वरिष्ठ प्राध्यापक/प्राचार्य (वेतनमान 12000 से 18300 रू.). सहा.निदेशक के तीन पद - 1 पद सहा. प्राध्यापक उच्च शिक्षा,1पद प्राचार्य/वरिष्ठ व्याख्याता स्कूल शिक्षा एवं 01 पद तकनीकी शिक्षा से,कार्यालयीन सहा. मुख्य लिपिक,लेखा पाल (उच्च शिक्षा से). 2 कम्प्यूटर ऑपरेटर. (तकनीकी शिक्षा से). 3 भृत्य (1स्कूल शिक्षा,1उच्चशिक्षा,1 तकनीकी शिक्षा से)

अधिसूचित किया गया कि राज्य समन्वयक/निदेशक का कार्यालय शासकीय महिला पोलिटेक्निक कॉलेज,राजेन्द्र नगर, इंदौर में होगा। योजना से संबंधित समस्त डी डी ओ के अधिकार अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा,इंदौर संभाग को होंगे। अधिसूचना के परिपालन में उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा 17 फरवरी 2006 को मार्गदर्शन योजना इंदौर स्थित मुख्यालय के निदेशक पद पर शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय इंदौर के डॉ. जयंतीलाल भण्डारी,प्राध्यापक वाणिज्य को आगामी आदेश तक पदस्थ किया गया है।

<u>योजना की प्रगति</u>

प्रदेश की नई पीढ़ी को मुस्कुराहट देने के लिए राज्य शासन के द्वारा जो रोजगार एवं शिक्षा में समन्वय कार्यक्रम फरवरी 2005 से प्रारंभिक रूप से शुरू किया गया, वह अभियान माह फरवरी 2006 से **स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना** नामकरण के बाद व्यापक रूप से आगे बढ़ाया गया। इस समय स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना के तहत प्रदेश में लोकशिक्षण के समस्त 1479 शासकीय हायर सकेंडरी स्कूलों,आदिवासी विकास के 476 हायर सेकेंडरी स्कूलों तथा 313 शासकीय महाविद्यालयों इस प्रकार कुल 2268 कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ शुरू किये जा चुके हैं। जिनके माध्यम से वर्ष 2006-07 में शासकीय महाविद्यालयों के 2,84,000 और शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों के करीब 12,00,000,(इसमें नवीं से बारहवीं तक की कक्षाओ के छात्र शामिल हैं) पोलिटेक्निक कॉलेज के 6000 तथा आईटीआई के 10,000 विद्यार्थी इस अभियान के माध्यम से कुल 15,00,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था और उक्त लक्ष्य के अनुरुप बड़ी संख्या में विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

शैक्षणिक सत्र 2006-07 में योजना से संबंधित प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ की स्थापना तथा रोजगार एवं शिक्षा समन्वय शुल्क एकत्रित करने के निर्देश दिए गए। विद्यार्थियों से एक रूपया प्रतिछात्र प्रतिमाह की दर से

एक मुश्त रोजगार एवं शिक्षा में समन्वय के रूप मे लिये जाने के आदेश आयुक्त ,उच्च शिक्षा एवं आयुक्त,लोक शिक्षण संचालानालय के द्वारा प्रसारित किये गये। आदेश मे कहा गया कि इस राशि को शैक्षणिक संस्था में ही जमा किया जाएगा इसका उपयोग संस्था में कार्यरत स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना प्रकोष्ठ की कॅरियर लायब्रेरी,कॅरियर व्याख्यान,इंटरनेट सुविधा और वर्षभर के कॅरियर मार्गदर्शन कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। योजना से संबंधित सभी स्कूल,कॉलेजों में कॅरियर केलेंडर भेजे गये और प्रत्येक माह कॅरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गये ।

इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी शासकीय कॉलेजों,सभी शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ आरंभ किये गए हैं। प्रत्येक शैक्षणिक संस्थाओं के दो शिक्षकों को कॅरियर काउंसलर के रूप में चयनित करके सेटकॉम के माध्यम से 6 मई 2006 और 3 जुलाई 2006 को प्रशिक्षित किया गया ।

प्रशिक्षित कॅरियर काउंसलरों को कॅरियर मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण हेतु कॅरियर मार्गदर्शिका 2006 उच्च शिक्षा विभाग,भोपाल के द्वारा प्रकाशित करके प्रदत्त की गई । इस मार्गदर्शिका के आधार पर कॅरियर काउंसलरों के द्वारा 5 और 25 जुलाई 2006 को अपनी-अपनी शिक्षण संस्थाओं में खुले कॅरियर काउंसलिंग शिविरों में विद्यार्थियों को नये शैक्षणिक सत्र 2006-07 में विषय चयन तथा पाठ्यक्रम चयन के संबध में काउंसलिंग की गई। सम्पूर्ण प्रदेश में 16 एवं 18 दिसंबर 2006 को खुले कॅरियर काउंसलिंग शिविर लगाकर विद्यार्थियों को कॅरियर की नई दिशाओं से परिचित कराया गया।

प्रदेश के सभी शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों एंव शासकीय कॉलेजों मे जुलाई 2006 से शैक्षणिक सत्र 2006-07 का कॅरियर कैलेंडर लागू किया गया। इसके तहत प्रत्येक शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रतिमाह का दूसरा शनिवार एवं शासकीय कॉलेजों में प्रतिमाह पहले शनिवार को कॅरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित करके कॅरियर काउंसलरों के द्वारा विद्यार्थियों को उनके उपयुक्त रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों में प्रवेश संबंधी तैयारी और उनके लिए उपयोगी अध्ययन संदर्भ तथा प्रतियोगिता परिक्षाओं की सफलता हेतु तैयारी संबंधी मार्गदर्शन दिया गया।

सम्पूर्ण प्रदेश के सभी शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों और कॉलेजों मे 12 जनवरी 2006 को कॅरियर जागरूकता दिवस मनाकर वार्षिक परीक्षा 2006-07 के बाद होने वाली प्रवेश एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियॉं के परिप्रेक्ष्य में कॅरियर मार्गदर्शन दिया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि शैक्षणिक सत्र 2006-07 में स्त्रोतसाधकों (रिसोर्स पर्सन) की 2 कार्यशालाएँ दिनांक 2 मई 2006 से दिनांक 7 मई 2006 तक तथा 11 दिसंबर 2006 से दिनांक 19 दिसंबर 2006 तक आयोजित की गई । कॅरियर मार्गदर्शन संबंधी जानकारियॉं पहुचाने के लिए स्टूडेन्ट फोल्डर प्रकाशित कराए गए और उन्हे छात्रों तक पहुँचाया गया।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदेश के कुछ महाविद्यालयों के कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठों के तहत कंपनियों के द्वारा कैम्पस सिलेक्शन से अच्छे रोजगार की शुरूआत हुई है। उदाहरण के लिए शासकीय कला एव वाणिज्य महाविद्यालय,इंदौर के वाणिज्य के 257 विद्यार्थियों का चयन इंफोसिस,जेनपेक्ट,आईसीआईसीआई जैसी प्रतिष्ठित कम्पनियों में हुआ। इसी तरह के.आर. जी.महाविद्यालय,ग्वालियर में कैम्पस के माध्यम से पहली बार 37 विद्यार्थियों का प्लेसमेंट हुआ है। ऐसे ही उत्साहजनक परिणाम प्रदेश के छोटे-छोटे महाविद्यालयों से भी प्राप्त हुए हैं।

योजना के लिए संसाधनों की आवश्यकताएँ

1. प्रदेश व्यापी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निदेशक स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना को सम्पूर्ण प्रदेश में तथा स्थानीय स्तर पर योजना की मॉनीटरिंग के लिए भ्रमण और जिला एवं संभागीय स्तर पर विशेष कॅरियर मार्गदर्शन कार्यक्रमों को संबोधित करने के लिए कार – टैक्सी को अनुबंधित करने की अनुमति दी जाए। उक्त कार्य में लगने वाली राशि का विमोचन योजना के लिए आवंटित धनराशि में से किये जाने की स्वीकृति भी प्रदान की जाए।
2. स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना,इंदौर मुख्यालय हेतु टेलिफोन,इंटरनेट कनेक्शन तथा निदेशक के लिए मोबाईल की अनुमति प्रदान की जाए। इन्हें इन उपकरणों को क्रय करने की अनुमति भी प्रदान की जाए। टेलिफोन,इंटरनेट तथा मोबाईल के वर्षभर के संचालन के लिए व्यय की स्वीकृति वर्तमान बजट में से प्रदान की जाए।
3. स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन की अधिसूचना के तहत निम्न लिखित पदों पर संलग्नीकरण किया जाना शेष है– 01 पद प्राचार्य/ वरिष्ठ व्याख्याता स्कूल शिक्षा से तथा 01 पद व्याख्याता तकनीकी शिक्षा से भरा जाना है। इसी प्रकार कार्यालयीन सहायक/मुख्यलिपिक उच्च शिक्षा से,दो कम्प्यूटर ऑपरेटर तकनीकी शिक्षा से तथा दो पद उच्च शिक्षा–स्कूल शिक्षा–प्रत्येक से 1–1 पद भरा जाना आवश्यक है।

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव

नवी एवं दसवीं के छात्रों के लिए मार्गदर्शन योजना का विस्तार इस समय स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए लागू की गई है। चूँकि कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं में अध्ययनरत छात्रों के लिए भी कॅरियर मार्गदर्शन आवश्यक है ताकि वे 10वीं के बाद विषय चयन तथा कॅरियर का लक्ष्य बना सकें। आर्थिक रूप से कमजोर पारिवारिक पृष्ठभूमि के तथा औसत योग्यता के विद्यार्थी भी उच्च अध्ययन के लिए न जाकर कक्षा 10वीं के बाद व्यावसायिक और कौशल उन्नयन के छोटे-छोटे पाठ्यक्रमों में जाना चाहते हैं। उनके लिए 9वीं और कक्षा 10वीं में दिया गया कॅरियर मार्गदर्शन उपयुक्त होगा। अतएव यह उपयुक्त होगा कि इस योजना को कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए भी लागू किया जाए। इससे 2220 शासकीय हाईस्कूलों के नवीं तथा दसवीं कक्षा के छात्र जिनकी संख्या लगभग 8,00,000 होगी। उन्हे भी कॅरियर मार्गदर्शन का लाभ मिलेगा। हाईस्कूल के नवीं दसवीं के छात्रों को शामिल करने के बाद इस योजना से लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या करीब 23,00,000 हो जाएगी। प्रदेश के सभी शासकीय हाईस्कूलों के नवीं एवं दसवीं के विद्यार्थियों से भी 1रू. प्रतिविद्यार्थी प्रतिमाह की दर से रोजगार एवं शिक्षा समन्वय शुल्क लिया जाए।

कॅरियर काउंसलरों को मान देय दिए जाने हेतु

प्रदेश के समस्त स्कूल / आदिवासी विकास खण्डों/उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित महाविद्यालयों/तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पोलिटेक्निक महाविद्यालयों में राज्य शासन की अधिसूचना के तहत स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ स्थापित किये गये है। इन प्रकोष्ठों के लिए प्रत्येक संस्था में एक-एक प्रशिक्षित कॅरियर काउंसलर को प्रकोष्ठ प्रभारी बनाया गया है। ये प्रकोष्ठ प्रभारी कॅरियर मार्गदर्शन के लिए अध्यापन के अलावा अपना अतिरिक्त समय भी दे रहें हैं। अधिसूचना के तहत सभी संस्थाओं द्वारा संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों से 1रू. प्रति विद्यार्थी शिक्षा एवं रोजगार समन्वय शुल्क लिया जा रहा है। अतः यह प्रस्ताव किया जाता है कि इस शुल्क में से जिन संस्थाओं मे 100 से कम छात्र संख्या है वहाँ प्रकोष्ठ प्रभारी को 50रू. प्रतिमाह और 1000 से कम संख्या वाली संस्थान में प्रकोष्ठ प्रभारी को 100 रू. प्रतिमाह अतिरिक्त मान देय स्वीकृत किया जाए । जिन संस्थानों में छात्र संख्या 1000 से अधिक है उन संस्थानों के प्रकोष्ठ प्रभारी को 200 रू. प्रतिमाह की दर से मान देय स्वीकृत किया जाए। प्रदेश में शासन की अन्य योजना यथा राष्ट्रीय सेवा योजना,एन.सी.सी. के प्रभारियों को भी प्रतिमाह मान देय का अतिरिक्त भुगतान किया जाता है। मान देय प्रभारी को इसलिए भी दिया जाना औचित्यपूर्ण है कि संबंधित प्रभारी योजना के संबंध में समय-समय पर आयोजनों में भाग लेते हैं,इसके अलावा मीटिंग एवं सेमिनारों में भी भाग लेते हैं, जिसके लिए वे अपने कर्त्तव्य स्थल पर स्वयं के वाहन/संसाधन से पहुँचते हैं। इसके अलावा कॅरियर की विभिन्न विधाओं से अपडेट रहने के लिए उन्हे योजना द्वारा प्रेषित सामग्री के अलावा स्थानीय स्तर पर भी जानकारी एवं सामग्री का संकलन करना पड़ता है। अतः औचित्य के आधार पर भी कॅरियर काउंसलर को मान देय स्वीकृत किया जाना उचित होगा। किसी भी परिस्थिति में एक संस्थान से एक कॅरियर काउंसलर को यह पारिश्रमिक दिया जाएगा एवं उसकी नियुक्ति संबंधी सहमति राज्य निदेशक कार्यालय से ली जाना अपेक्षित है,ताकि इन काउंसलर्स के माध्यम से योजना का त्वरित एवं प्रभावी कियान्वयन किया जा सके। यह भी प्रस्तावित कॅरियर काउंसलर्स की गोपनीय चरित्रावली लिखते समय प्रतिवेदन अधिकारी इनके कार्य का मूल्यांकन कर इन्हे अतिरिक्त वेटेज (vatage) देवें।

प्रदेश के समस्त अग्रणी महाविद्यालयों को योजना के प्रभावी कियान्वयन के लिए नोडल ऐजेंसी के रूप में कार्यभार सौंपना प्रस्तावित है। समस्त अग्रणी महविद्यालय अपने महाविद्यालय में कॅरियर काउंसलर के रूप में प्रशिक्षित एक प्राध्यापक/सहा. प्राध्यापक स्तर के व्यक्ति को योजना के जिले समन्वयक की जिम्मेदारी सौपेंगे। इन समन्वयकों का चयन निदेशक स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना की सहमति से किया जाएगा जो यह सुनिश्चत करेंगे कि वे आवंटित जिले में योजना के लिए स्कूल/आदिवासी विकास खण्ड/उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संग्रहित राशि का विविधपूर्ण व्यय योजना के कियान्वयन के लिए जारी निर्देशों के अनुरूप करेंगे। समन्वयक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विभाग द्वारा अनुमोदित कॅरियर कैलेंडर का पालन सम्पूर्ण जिले में हो रहा है। समन्वयक संपूर्ण जिले में योजना की प्रगति का अद्यतन संकलन भी करेंगे तथा उसका निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन निदेशक,स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना को प्रस्तुत करेंगे।